वित्तीय समावेशन की संभावनाएं

चरण सिंह

The Rise of Indian Economy
PMJDY

वित्तीय समावेशन की व्यावसायिक व्यावहारिकता स्थापित हो चुकी है और दुनिया भर में सरकारें आबादी के बड़े हिस्से तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। दरअसल, वित्तीय समावेशन आर्थिक समानता और आर्थिक वृद्धि की राह बनाता है। एक खास तरह के वित्तीय संस्थान कम लागत में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराते हैं, फंड की सुरक्षा करते हैं और जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करने के अलावा सुविधाजनक हिसाब-किताब मुहैया कराते हैं। बैंक बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच काम करते हैं और इस तरह से विकास के लिए संसाधन मुहैया कराते हैं

वित्तीय समावेशन ऐसी प्रक्रिया है, जिससे देश के सतत आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए गुंजाइश बनती है। यह समाज में वंचित लोगों का जीवन स्तर सुधारने पर फोकस करता है। वित्तीय समावेशन का मकसद लोगों को बेहतर वित्तीय फैसले लेने के लिए जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही, यह आर्थिक विकास में कम आय वाले लोगों की भागीदारी की तस्दीक करता है। यह भागीदारी कम आय वाले समूह के पास वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

वित्तीय समावेशन (भारत सरकार, 2008) पर बनी समिति ने वित्तीय समावेशन की परिभाषा कुछ इस तरह दी है- यह कमजोर और वंचित लोगों को कम खर्च में और पर्याप्त और सही समय पर वित्तीय सेवाएं व क्रेडिट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन का मकसद कम आय वाले समूहों को समान अवसर के प्रावधानों के साथ वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना है। समिति ने सुझाव दिया था कि एक निश्चित समयसीमा के भीतर समग्र वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए वित्तीय समावेशन के काम को मिशनरी तरीके से अंजाम दिया जाना चाहिए। समिति का कहना था कि इस मकसद के लिए पूरी तरह से समर्पित दो फंड भी बनाया जाना चाहिए। इन फंडों का फोकस विकास और तकनीक पर हो, ताकि गरीबों को कर्ज आदि की बेहतर सुविधा मिल सके।

वित्तीय समावेशन: ऐतिहासिक घटनाक्रम

दरअसल, आम धारणा के उलट भारत वित्तीय समावेशन के मामले में अगुआ रहा है। सहकारी सोसायटी कानून, 1904 ने देश में सहकारी आंदोलन को रफ्तार दी। सहकारी बैंकों का मकसद बैंकिंग सुविधाओं के दायरे को बढ़ाना था- मुख्य तौर पर महाजन की तुलना में आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराना। महाजन या सूदखोर ऊंची दर पर ब्याज वसूलने के लिए कुख्यात थे। भारत में वित्तीय समावेशन की शुरुआत 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ हुई।

1967 में सोशल बैंकिंग पर बहस छिड़ी और इसके परिणामस्वरूप 14 निजी बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी (मुख्य तौर पर ग्रामीण इलाकों से ताल्लुख रखने वाले और गरीब व वंचित लोग) को इस सेवा से जोड़ा जा सके। प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग (प्राथमिकता के आधार पर बैंकों द्वारा लोन दिया जाना) की अवधारणा 1974 में आई, जिसका मकसद बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके बाद ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ाने के मकसद से1980 में 8 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तब से बैंकों के कर्ज देने की प्राथमिकता और बैंकिंग प्रणाली में काफी बदलाव हुआ है। खासतौर पर प्रायरिटी सेक्टर के मामले में ऐसा देखने को मिला है, जिस पर पहले पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था।

भारत सरकार देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए साल 2005 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), राष्ट्रीय

लेखक यूसीएलए एंडर्सन, लॉस एंजिलिस में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इससे पहले वह भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगुलुरु में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। डॉ सिंह ने डॉक्टरेट की पढ़ाई हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों से की और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, सिडनी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। दिसंबर 2012 में अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वे पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में अहम पदों पर जिम्मेदारी संभाल हो चुके हैं। ईमेल: charan.singh@anderson.ucla.edu

कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ मिलकर देश में कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। इन उपायों में स्वयंसहायता समूह-बैंक लिकेंज कार्यक्रम, बिजनेस समन्वयक और कॉरस्पॉन्डन्ट (अभिकर्ता) का इस्तेमाल, केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियमों को आसान बनाना, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, मोबाइल तकनीक का इस्तेमाल, नो फ्रिल खाते खोलना और वित्तीय साक्षरता शामिल हैं। वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से किए गए बाकी उपायों में उपभोक्ता सेवा केंद्रों को खोला जाना, कर्ज संबंधी सलाह-मशवरा केंद्रों की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता, राष्ट्रीय पेंशन योजना, मनरेगा योजना और आधार कार्यक्रम प्रमुख हैं।

इन तमाम कोशिशों के बावजूद बैंकिंग सेवाओं की पहुंच कम थी। इसके मद्देनजर हर घर में एक बैंक खाता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 15 अगस्त 2014 को इस दिशा में केंद्रित प्रयासों की जरूरत के बारे में ऐलान किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मकसद बचत बैंक खाता, जरूरत आधारित कर्ज, पैसे भेजने की सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाओं से वंचित तबकों यानी कमजोर और कम आय वाले लोगों को जोड़ना था। सरकार ने छोटे कारोबारियों को कर्ज मुहैया कराने पर फोकस करने की खातिर माइक्रो यूनिट्स डिवेलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) योजना पेश कर वित्तीय समावेशन हासिल करने संबंधी अपनी कोशिशें जारी रखीं। इसी तरह, सरकार ने 2015 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिये 95 फीसदी घरों में बैंक खाता सुनिश्चित कर इससे जुड़े लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। इसके अलावा, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा आम जनता तक पहुंचाया। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का इरादा असगंठित क्षेत्र में काम कर रहे गरीब लोगों को बुर्जुग हो जाने पर आय की सुरक्षा प्रदान करना है। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत एक साल का जीवन बीमा कवर मुहैया कराया जाता है और सालाना इसका पुनर्नवीनीकरण कराया जा सकता है। इसी तरह, सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना के कारण हुई शारीरिक अक्षमता या मृत्यु को कवर किया गया है और इसका भी सालाना आधार पर पुनर्नवीनीकरण कराया जा सकता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के शुरू होने के बाद इस स्कीम ने अहम प्रगति की है। 4 अप्रैल 2018 के मुताबिक, इस योजना के तहत कुल 31.4 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें 31.4 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों में खोले गए, जबकि शहरी इलाकों में 12.9 करोड़ खाते खुले। इसके तहत कुल 16.6 करोड़ महिलाओं का खाता खुला। रूपे कार्ड्स की भी संख्या बढ़कर 23.7 करोड़ हो गई है। कुल मिलाकर प्रगति संतोषजनक रही है। 4 अप्रैल 2018 के मुताबिक, कमर्शियल बैंकों की जमा राशि 79,012.1 करोड़ रुपये थी।

चुनौतियां

वित्तीय समावेशन को व्यापक तौर पर फैलाने में अहम चुनौतियां कुछ इस तरह हैं:

1. **प्रधानमंत्री जन धन योजना:** (पीएमजेडीवाई) के तहत सभी खाते चालू नहीं हैं। कुछ मामलों में खाताधारकों द्वारा फंड की कमी के कारण बैंक खाते चालू नहीं हैं। बैंक खातों में कम बैलेंस राशि के कारण तकनीकी प्रगति को लागू करने में लागत का मामला आड़े आ रहा है, जो चिंता का विषय है।
2. **वित्तीय साक्षरता की कमी:** ग्रामीण परिवारों में वित्तीय साक्षरता पर्याप्त नहीं है। नतीजतन, वित्तीय संस्थानों द्वारा मुहैया कराई गई कई वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूकता की कमी है।
3. **खातों का बेहद बड़ा वॉल्यूम:** नए और पुराने खातों की बड़ी संख्या के

कारण ई-पेमेंट सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तकनीकी और संस्थागत अवसंरचना की जरूरत है।

4. **स्टाफ संबंधी योजना तैयार करने की जरूरत:** बैंकों और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल विकास की जरूरत है।
5. **सुरक्षित माहौल:** इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुरक्षा चिंता का विषय है। खासतौर पर देश के दूर-दराज के इलाकों में बड़ी संख्या में नए खातों को देखते हुए यह बेहद प्रासंगिक है।
6. **लेनदेन की सहूलियत:** ग्रामीण परिवारों में महाजन से कर्ज लेने का सिलसिला काफी हद तक कायम है। यह साफतौर पर बैंकों की लेनदेन संबंधी गतिविधियों में दिक्कत की तरफ इशारा करता है।
7. **तकनीक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत:** जहां तक संचालन की बात है, तो बैंकिंग सेवाओं में एटीएम के जरिये दी जा रही सुविधा के बावजूद डेबिट कार्ड की पहुंच काफी कम है और अब तक सिर्फ 30 फीसदी खाताधारकों के पास डेबिट कार्ड है।
8. **मांग संबंधी पहलू:** कम आय या संपत्ति, वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता की कमी, पहुंच के दायरे से बाहर माने जाने वाले उत्पाद, लेनदेन की ऊंची लागत, जटिल और ग्रामीण क्षेत्र की आय के चलन के लिहाज से अनुपयुक्त उत्पाद वित्तीय प्रणाली से आम लोगों के जुड़ाव में अहम बाधाएं हैं।
9. **तकनीक के इस्तेमाल में जोखिम और लागत:** सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की तैनाती पर बढ़ते खर्च और मौद्रिक नुकसान, डेटा चोरी और निजता में सेंधमारी चिंता की बात हैं। लिहाजा, बैंकों को ऐसे जोखिम से सावधान रहने की जरूरत है।
10. **साइबर सुरक्षा:** प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पिछले 3 सालों में 31 करोड़ नए खाते खोले गए हैं। इनमें से तकरीबन 80 फीसदी पहली बार खाता इस्तेमाल करने वाले हैं। यह साइबर सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब आपके केवाईसी नियमों में ढील दी गई हो।

प्रधानमंत्री जन धन योजना का मकसद बचत बैंक खाता, जरूरत आधारित कर्ज, पैसे भेजने की सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाओं से वंचित तबकों यानी कमजोर और कम आय वाले लोगों को जोड़ना था। सरकार ने छोटे कारोबारियों को कर्ज मुहैया कराने पर फोकस करने की खातिर माइक्रो यूनिट्स डिवेलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) योजना पेश कर वित्तीय समावेशन हासिल करने संबंधी अपनी कोशिशें जारी रखीं। इसी तरह, सरकार ने 2015 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिये 95 फीसदी घरों में बैंक खाता सुनिश्चित कर इससे जुड़े लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया।

आगे की राह

पिछले दो दशकों में भारत और विदेशी मुल्कों में बैंकिंग और वित्तीय उद्योग जगत में अहम बदलाव हुए हैं। वित्तीय समावेशन की व्यावसायिक व्यावहारिकता स्थापित हो चुकी है और दुनियाभर में सरकारें आबादी के बड़े हिस्से तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। दरअसल, वित्तीय समावेशन आर्थिक समानता और आर्थिक वृद्धि की राह बनाता है। एक खास तरह के वित्तीय संस्थान कम लागत में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराते हैं, फंड की सुरक्षा करते हैं और जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करने के अलावा सुविधाजनक हिसाब-किताब मुहैया कराते हैं। बैंक बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच काम करते हैं और इस तरह से विकास के लिए संसाधन मुहैया कराते हैं। लिहाजा, मुमकिन है कि लोगों के पास बचत के तौर पर पैसा जमा करने को नहीं हो, लेकिन ऐसे संसाधनों की जरूरत हो, जिनका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के अलावा रोजगार पैदा करने में हो सकता है।

- भारत में अगले कुछ दशक के लिए परिदृश्य के आकलन में इन पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ सकता है:
- भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि और ग्रामीण गतिविधियों से करीबी तौर पर जुड़ी है। देश की आबादी का 66 फीसदी हिस्सा अब भी गांवों में बसता है।
- विश्व की कुल आबादी में भारत का हिस्सा 16 फीसदी है, जबकि उसके पास जल संसाधन महज 4 फीसदी है। कृषि क्षेत्र के लिए पानी की किल्लत का होना तय है। खासतौर पर बढ़ती आबादी को देखते हुए ऐसा होना तय माना जा रहा है।
- जमीन की कमी (खासतौर पर बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे शहरीकरण औद्योगीकरण के कारण) के परिणामस्वरूप खाद्यान्न और कृषि उत्पादन की लागत काफी बढ़ जाएगी।
- 31 मार्च, 2014 के मुताबिक, कुल 123 करोड़ जमा खाते थे। इसके अलावा, डाकघरों में 28 करोड़ खाते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के परिणामस्वरूप बैंकों में तकरीबन 31 करोड़ नए खाते खुले। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ऐलान किया है, जिसका संचालन बैंकिंग प्रणाली के जरिये ही होगा।

Digital Wallet
CREDIT CARD
1234 5678 9000 1234
PAY

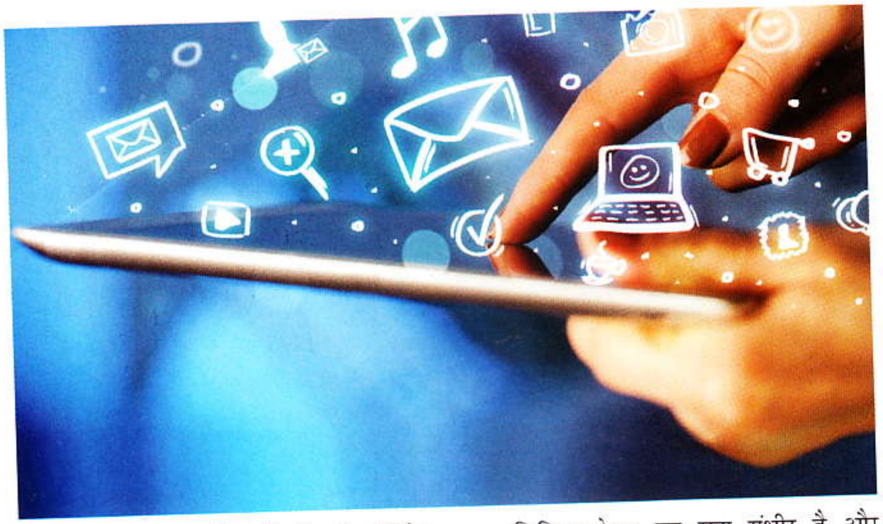

साथ ही, मुद्रा बैंक भी निचले आर्थिक पायदान पर बैंकिंग गतिविधियों को प्रोत्साहन देगा।

- जन धन और हाल में ऐलान की गई अन्य योजनाओं के तहत खुले नए खातों के कारण बैंकिंग क्षेत्र का कामकाज बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगा। साथ ही, वैसे क्षेत्रों में जहां बैंक की शाखाएं नहीं हैं, वहां भी बैंकिंग सेवाओं की उम्मीदें तेज हो जाएंगी।नतीजतन, व्यावसायिक बैंक दूर-दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवा मुहैया कराने के लिए भारी चार्ज वसूलेंगे।
- सरकार ने ऐलान किया है कि वह तकनीक और बैंक खातों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को संसाधानों का आवंटन करेगी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का मतलब यह होगा कि आम जनता खासतौर पर कम आय वाले समूह को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मिलेंगे। खाने-पीने की चीजों की ऊंची कीमतों के कारण ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का भी वादा किया है। ऐसे में गरीबी से बाहर निकलने वाली आबादी के अनुपात का आकलन करने की जरूरत होगी।

निष्कर्ष और सुझाव

वित्तीय समावेशन का मकसद उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर वित्तीय संसाधन मुहैया कराना है। वित्तीय समावेशन की बढ़ती जटिलता को ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक रोडमैप और नियामक की जरूरत हो सकती है।

डिजिटाइजेशन का मुद्दा गंभीर है और इस पर विश्लेषण करने की जरूरत है। ऊंचे स्तर पर वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए डिजिटाइजेशन जरूरी है। भारत भाषा और लिपियों के मामले में विभिन्नता वाला देश है। साथ ही, देश में साक्षरता दर भी कम यानी तकरीबन 70 फीसदी है। अंग्रेजी साक्षरता तो देश की आबादी के 10 फीसदी हिस्से के पास भी नहीं होगी। अगर इस तथ्य को ध्यान में रखें कि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंग्रेजी में हैं और डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियां भी अंग्रेजी में हैं, तो निकट भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल स्वरूप देने में स्वाभाविक बाधा है। भारत में अभी भी तकरीबन 40 करोड़ लोग यानी देश की 30 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। साथ ही, 90 फीसदी लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये लोग भी डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाने में सुस्त पड़ सकते हैं। साथ ही, ग्रामीण दुकानों में कारोबार के कम स्तर के कारण छोटी दुकानों, अन्य छोटी और अस्थायी दुकानों में डिजिटल सौदों और इसकी सुरक्षा के लिए उपकरण लगाया जाना काफी महंगा सौदा साबित हो सकता है। देश के दूर-दराज के इलाकों में उपकरण मुहैया कराने की कीमत और किफायती दर पर मनमाना कनेक्टिविटी मुहैया कराना एक और चुनौती है, जिससे निपटे जाने की जरूरत है। फिलहाल ई-मनी का इस्तेमाल शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाके के ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों तक सीमित है। ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन की मौजूदगी के बावजूद यह उपकरण परिवार के एक शख्स तक सीमित है। इसका मतलब यह है कि इससे सीमित स्तर पर ही ऑनलाइन बैंकिंग गतिविधियां हो सकेंगी, क्योंकि इस तरह के लेनदेन में निजता काफी अहम होती है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पिछले 3 सालों में 31 करोड़ नए खाते खोले गए हैं। इनमें से तकरीबन 80 फीसदी पहली बार खाता इस्तेमाल करने वाले हैं। यह साइबर सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब आपके केवाईसी नियमों में ढील दी गई हो।

ऐसे में अगर डिजिटल अर्थव्यवस्था तैयार करने के विभिन्न पहलुओं के बारे में फैसला करने के लिए निश्चित समयसीमा के साथ लागत के पहलू को ध्यान में रखते लंबी अवधि की योजना तैयार की जाती है, तो इससे काफी मदद मिल सकती है। भारत को तेजी से डिजिटल पटरी पर दौड़ाने के लिए एक कमेटी बनाने की जरूरत है, जो समस्या को समझे, चुनौतियों से वाकिफ हो और उसके बाद सफलता हासिल करने के लिए रोडमैप तैयार करे। जिस तरह से सरकार ने स्मार्टसिटी प्रोजेक्ट के तहत चरणबद्ध तरीके से तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 100 चुनिंदा शहरों की सूची जारी कर इस मसले पर काम किया है, डिजिटलाइजेशन के लिए भी उसी तरह की रणनीति, पायलट प्रोजेक्ट और अभियान का सिस्टम अपनाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता के मद्देनजर साफ तौर पर एक खालीपन उभरा है। यह खालीपन माइक्रो और ग्रामीण क्षेत्र के नियमन का है। 1934 में स्थापित रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली के नियमन और निगरानी का काम करता है। इसके अलावा, व्यावसायिक बैंक भले ही कई दशकों से वित्तीय समावेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें फोकस के साथ काम करने का उनका रवैया गायब है। अब शायद वित्तीय समावेशन के नियमन और निगरानी का काम नाबार्ड को सौंपना जरूरी हो गया है। नाबार्ड के पास स्पष्ट जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ चार दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है। ❑